

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०-८/गठन/११०/२०१६/न०वि०आ०-.....५४६० राँची, दिनांक-२३/०८/१७

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, २०११ (झारखण्ड अधिनियम-०७, २०१२) की धारा-३ की उपधारा-(२)(स) धारा-४,५,६ एवं ८ की उपधारा (३) में किये गये प्रावधान के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के मूल रूप को मिलाकर विभागीय अधिसूचना संख्या-५३३८ दिनांक-१७.०८.२०१७ के द्वारा मानगो नगर निगम का गठन किया गया है।

२. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, २०११ (झारखण्ड अधिनियम-०७, २०१२) की धारा-१५ की उपधारा-(२)(क) के परन्तुक में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पार्षदों की संख्या का निर्धारण अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो चुके हों, के आधार पर अवधारित करेगी।

३. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, २०१२ के नियम-३ का उपनियम (१)(ग)(iii) क्रमांक १ में नगर निगम में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का गठन का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में प्रथम १५०००० की जनसंख्या पर वार्डों की न्यूनतम संख्या ३५ होगी। इसके पश्चात् प्रत्येक ५०००० की जनसंख्या पर १ (एक) अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के गठन का प्रावधान है।

४. उपर्युक्त कंडिका से स्वतः स्पष्ट है कि पार्षदों की संख्या का अवधारण एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) की संख्या का विनिश्चय स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे के पूरक हैं।

उक्त प्रावधान के आलोक में मानगो नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पार्षदों की संख्या/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या का अवधारण निम्न रूपेण किया जाता है:-

जिला	नगरपालिका क्षेत्र का नाम	जनगणना, २०११ के अनुसार कुल जनसंख्या	मानक जनसंख्या के आधार पर वार्डों की न्यूनतम संख्या		अवशेष जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डों की संख्या				कुल वार्डों की संख्या
			मानक जनसंख्या	मानक वार्डों की संख्या	अवशेष जनसंख्या	अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के गठन हेतु विनिर्धारित जनसंख्या	प्रतिशत / अनुपात	वार्डों की संख्या	
पूर्वी सिंहभूम	मानगो नगर निगम	२२३८०५	१५००००	३५	७३८०५	५००००	१.४७६	१	३६

५. उपर्युक्त अवधारण के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली-२०१२ के अध्याय २, नियम ३ के तहत २०११ की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर मानगो नगर निगम में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या ३६ एवं पार्षदों की संख्या भी ३६ निर्धारित की जाती है।

६. उक्त अवधारण का प्रभाव उपर्युक्त नगर निगम क्षेत्र पर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आम निर्वाचन के पश्चात् उनकी प्रथम बैठक हेतु नियत तिथि से पाँच वर्ष तक का कार्यकाल समाप्त न हो जाए।

7. उक्त पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
8. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से।

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-8/गठन/110/2016/न0वि0आ0-.....5460

राँची, दिनांक-.....23/08/17

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड, राँची को असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-8/गठन/110/2016/न0वि0आ0-.....5460

राँची, दिनांक-.....23/08/17

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-8/गठन/110/2016/न0वि0आ0-.....5460

राँची, दिनांक-.....23/08/17

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल/उपायुक्त, जमशेदपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखण्ड, राँची/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, झारखण्ड, राँची/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-8/गठन/110/2016/न0वि0आ0-.....5460

राँची, दिनांक-.....23/08/17

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, सभी प्रशाखा-1 (स्थापना), प्रशाखा-2 (बजट), प्रशाखा-5 (योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त नगर निकाय के संदर्भ में पदसृजन, बजट आवंटन एवं योजना कार्यान्वयन संबंधी आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।